भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3386
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-तीन हेतु वित्तीय उपयोग

3386. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-तीन के लिए आवंटित 7,210 करोड़ रुपये के बजट के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके वित्तीय उपयोग का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा इस चरण के अंतर्गत ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली आबादी पर विशेष ध्यान देते हुए ई-सेवा केन्द्रों की सार्वभौमिक संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) आज की तिथि के अनुसार न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा) योजना के अंतर्गत टेली-लॉ पहल के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त करने वाले नागरिकों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) हाल ही में टेली-लॉ पहल के संबंध में राष्ट्रीय परामर्श के दौरान जमीनी स्तर की न्यायिक अवसंरचना के साथ प्रौद्योगिकी-आधारित विधिक सेवाओं को एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को समाविष्ट करते हुए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का चरण-3, विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के समन्वय से, 2023-24 से 2026-27 की अवधि के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत रीति से लागू किया जा रहा है । कुल 3225 करोड़ रुपये

के आबंटन में से, वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-3 के अधीन 2514.81 करोड़ रुपये का व्यय हुआ हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान स्कीम के अधीन 1200 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ख) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-3 के अधीन, ई-सेवा केंद्रों को नागरिक-केंद्रित सुविधा केंद्रों के रूप में मज़बूत किया जा रहा है जिससे ई-फाइलिंग, ई-भुगतान, मामला प्रास्थिति, वाद सूची, आदेश और निर्णय तथा दूसरी डिजिटल न्यायालयी सेवाओं सहित भिन्न-भिन्न ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंच में सहायता मिल सके। संबंधित उच्च न्यायालयों ने डिजिटल न्यायिक सेवाओं की पहुंच में अभिवृद्धि के उद्देश्य से विशिष्टतया ग्रामीण, दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों के वादियों के लिए अनुमोदित कार्यान्वयन योजना और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार ई-सेवा केंद्रों की स्थापना और प्रचालन किया है। ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-3 के अधीन, 30.06.2026 तक, 25 उच्च न्यायालयों में कुल 1,806 ई-सेवा केंद्र कार्यरत हैं।

(ग) : समग्र न्याय तक पहुंच के लिए अभिनव समाधान परिकल्पना (दिशा) स्कीम को वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए संपूर्ण भारत में केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में दिशा 2.0 के रूप में जारी रखा गया है। दिशा 2.0 का उद्देश्य प्रौद्योगिकी-सक्षम, सरल, सुलभ, वहन करने योग्य और जन-केंद्रित विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह निम्नलिखित घटकों के माध्यम से संचालित की जाती है— टेली-लॉ (उन तक पहुंचना जहां पहुंच नहीं है), न्याय बंधु कार्यक्रम(प्रो बोनो विधिक सेवाएं) और विधिक साक्षरता तथा विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएपी)। दिशा 2.0 के अधीन विधि (सामंजस्यपूर्ण विधिक पहल के एकीकृत परिदान के लिए विजन)- संजीवनी नामक एक नया वर्टिकल भी प्रारंभ किया गया है।

टेली-लॉ, पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्र (सीएससीएस)/ग्रामीण स्तर के उद्यमकर्ताओं (वीएलईएस) पर उपलब्ध वीडियो/टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का प्रयोग करके पूर्व-विवाद निःशुल्क विधिक सलाह प्रदान करने के लिए मोबाइल-ऐप (नागरिकों/अधिवक्ताओं के लिए टेली-लॉ) और टोल-फ्री नंबर 14454 के माध्यम से व्यक्तियों को पैनल अधिवक्ताओं से जोड़ता है। न्याय सहायक, जो समुदाय-आधारित सक्रिय विधिक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें सेवा परिदान को मज़बूत करने के लिए आकांक्षी खंडों में लगाया गया है। 31.07.2026 तक, दिशा 2.0 स्कीम के अधीन टेली-लॉ पहल के द्वारा कुल 1,13,56,204 पूर्व-विवाद विधिक सलाह दी गई है।

(घ) : दिशा स्कीम के अधीन टेली-लॉ पहल पर राष्ट्रीय परामर्श 29 मार्च 2026 को हुआ था। परामर्श का एक विशेष परिणाम न्याय सेतु एआई चैटबॉट का लॉन्च किया जाना था, जिसे प्रौद्योगिकी-समर्थ विधिक सेवाओं को ज़मीनी स्तर पर न्याय परिदान क्रियाविधि के साथ एकीकृत करने के लिए भाषिणी के साथ मिलकर विकसित गया था । जनरेटिव एआई-पावर्ड बहुभाषी और बहुमॉडल प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को 22 भारतीय भाषाओं में सरल वॉयस और टेक्स्ट संवाद

के माध्यम से विधिक प्रक्रियाओं, अधिकारों और उपलब्ध विधिक उपचारों के बारे में जानकारी तक पहुंच हेतु समर्थ बनाता है। यह हाइब्रिड रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जेनरेशन (आरएजी) आर्किटेक्चर का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि प्रत्युत्तर विधिक टेक्स्ट पर आधारित हों।

न्याय सेतु एआई चैटबॉट स्वचालित प्रश्न संचालन, संरचनात्मक डाटा प्रग्रहण और विधिक अधिकारों और उपचारों की जानकारी के माध्यम से बहु भाषाओं में विधिक सहायता को सुकर बनाता है। टेली-लॉ पारितंत्र को पूरा करते हुए, यह विशिष्टतया सीमान्त और अपूर्वरक्षित जनसमुदाय के लिए पहुंच, दक्षता और समावेशिता में सुधार करके प्रौद्योगिकी-समर्थ, नागरिक-केंद्रित विधिक सेवाओं को मज़बूत करता है, ।
